



दवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर चर्चाएँ

प्रलिस के लयः

[दवाला और शोधन अक्षमता संहिता \(IBC\) 2016](#), [राष्ट्रीय कंनूनी कानून नयायाधकरण](#), [वततीय सथरिता रपिरट \(FSR\)](#), [भारतीय रज़िरव बैंक \(RBI\)](#), [भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोरड](#)

मेन्स के लयः

IBC के सामने आने वाली चुनौतियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना से संबंधित मुद्दे, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोज़गार ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्योँ?

[दवाला और शोधन अक्षमता संहिता \(IBC\)](#) कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लयि वर्ष 2016 में लागू हुई, जसिमें देनदार की संपत्तिके मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमता को बढ़ावा देना, मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना और हतिधारकों के हतियों को संतुलित कया जाता है ।


- हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों ने इस संहिता की प्रभावशीलता और समाधान प्रक्रया के बारे में चर्चाएँ बढ़ा दी हैं ।

IBC के साथ प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- नयून पुनर्भुगतान प्रतशितः
 - वर्ष 2023 में [भारतीय रज़िरव बैंक \(RBI\)](#) द्वारा जारी [वततीय सथरिता रपिरट \(FSR\)](#) के अनुसार, रज़िऑलयूशन योजना अनुमोदन प्रक्रया में आम तौर पर करेता द्वारा केवल 15% भुगतान शामिल होता है और [पुनर्भुगतान में बैंकों द्वारा कसिी भी अतरिकित ब्याज के बनिा वर्षों लग सकते हैं](#) ।
 - इससे पुनर्भुगतान प्रक्रया की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं ।
- नपिटान और पुनर्प्रापतिः
 - हाल के नपिटान और समाधान, जैसे कि [रलियांस कम्युनकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लमिटेड \(RCIL\)](#) मामले ने कम नपिटान राशति तथा वसितारति समाधान अवधि के कारण चर्चाएँ बढ़ा दी हैं ।
 - उदाहरण के लयि RCIL के नपिटान की [राशति ऋण का मात्र 0.92%](#) थी और समाधान योजना को पूरा करने में चार वर्ष लग गए, जो [नरिधारति अधिकतम 330 दिनों से कहीं अधिक](#) था ।
 - वततीय ऋणदाताओं (FC) को आदर्श रूप से मूलधन और ब्याज मलिना चाहयिे ।
 - चूक की पहचान करने और उसे स्वीकार करने में समय लेने वाली प्रक्रयाएँ पुनर्प्रापति दिरों को कम करने में योगदान करती हैं । यह समाधान [कार्यवाही को समय पर शुरू करने](#) में बाधा उत्पन्न करता है, जसिसे पुनर्प्रापति दिर कम हो जाती है ।
- हेयर कट्स और पुनर्प्रापति दिरेंः
 - "हेयरकट्स" की अवधारणा, जसिमें [ऋण और अर्जति ब्याज को बट्टे खाते में डालना](#) शामिल है, ने प्रमुखता प्राप्त कर ली है ।
 - प्रमोटर अपनी कंनूनी को [शोधन करमचारयियों के पास ले जाकर और बैंकों/ \[राष्ट्रीय कंनूनी कानून नयायाधकरण \\(NCLT\\)\]\(#\)](#) से पर्याप्त छूट प्राप्त करके लाभ उठा रहे हैं ।
 - समाधान के बाद, [उधारकर्त्ता और दवाला पेशेवर \(IP\) अमीर/धनी बने रहते](#) हैं, जबकि ऋणदाताओं को नुकसान होता है तथा बैंक देनदारी से मुक्त हो जाते हैं, क्योँकि [केवल कंनूनी को दवालया घोषति कया जाता है, मालकियों को नहीं](#), जसिसे जमाकर्त्ताओं को नुकसान होता है ।
 - इसके परिणामस्वरूप [वततीय ऋणदाताओं को प्राप्त होने वाली वसूली दर कम](#) हो गई है तथा कुछ मामलों में बकाया ऋण का केवल 5% ही प्राप्त हुआ है ।

Code Red

In RCom, against debtors' claims of ₹49,668 cr., the NCLT admitted only ₹47,251 cr. The settlement was just ₹455.92 cr.



//

■ वसूली योग्य मूल्य:

- वर्ष 2023 में [भारतीय रजिस्ट्रार बैंक \(RBI\)](#) द्वारा जारी [FSR](#) लेनदारों के लिये कम वसूली योग्य मूल्य प्राप्त होने के मुद्दे को उजागर करता है जिसमें बैंक अथवा वित्तीय लेनदार बड़े कॉर्पोरेट्स के NCLT द्वारा नपिटाए गए मामलों में औसतन केवल 10-15% की वसूली करते हैं। हालाँकि RBI का कहना है कि लेनदारों को परसिमापन पर प्राप्य मूल्य (Liquidation Value) का 168.5% तथा उचित मूल्य का 86.3% मिलता है।

- FSR के अनुसार 597 परसिमापन में से ₹1,32,888 करोड़ के दावे की तुलना में वसूल हुई राशि स्वीकृत दावों का 3% थी।
- जबकि बैंक कसानों, छात्रों, MSME तथा आवासीय ऋण पर नवीनतम ब्याज लेते हैं, जिसमें देरी की स्थिति में जुर्माना ब्याज भी शामिल है और साथ ही संबद्ध स्थिति कॉर्पोरेट्स के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है।

- परसिमापन से प्राप्त राशि भी न्यूनतम रही है, जिससे पुनर्प्राप्त प्रक्रिया संबंधी चिंताएँ बढ़ गई हैं।

■ वनियामक चिंताएँ:

○ वनियामक रिपोर्टें:

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report- FSR) में [कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया \(Corporate Insolvency Process- CIRP\)](#) संबंधी कई मुद्दे उजागर होते हैं।
 - रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत दावे बकाया से कम हैं तथा बैंक अथवा वित्तीय ऋणदाता परसिमापन पर प्राप्य मूल्य व उचित मूल्य का केवल एक अंश ही वसूल कर पा रहे हैं।

■ संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट:

- वर्तित पर [संसदीय स्थायी समिति \(Parliamentary Standing Committee\)](#) की 32वीं रिपोर्ट में कम वसूली दर से संबंधित चिंता को उजागर किया गया है जिसमें 95% तक की कटौती एवं 180 दिनों से अधिक समय से लंबित 71% से अधिक मामलों के साथ समाधान

प्रक्रिया में देरी स्पष्ट रूप से संसद द्वारा संहिता के मूल उद्देश्य तथारजिऑल्यूशन प्रोफेशनल्स (RP) और इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IP) से संबंधित मुद्दों से वचिलन की ओर इशारा करती है ।

- यह ऋणदाताओं की समिति (Committee of Creditors- COC) के लिये एक पेशेवर आचार संहिता की आवश्यकता और हेयरकट/मार्जनि की सीमा तय करने की भी सफारिश करता है ।

■ सीमिति न्यायकि बेंच कषमता:

- न्यायाधीशों की कमी के कारण IBC समाधान प्रक्रिया बाधति होती है जिसके परणामस्वरूप मामले के नपिटान में देरी आती है । जिसके परणामस्वरूप मामले के नपिटान में देरी लगती है ।

दवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की मुख्य वशैषताएँ क्या हैं?

■ परचिय:

- दवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 कंपनयिों, व्यक्तयिों एवं साझेदारयिों के दवालियपन को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है ।
 - दवाला एक ऐसी स्थति है जहाँ कसिी व्यक्तया संगठन की देनदारयिों उसकी संपत्तसे अधिक हो जाती है और वह संस्था अपने दायतियों या ऋणों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नकदी जुटाने में असमर्थ होती है क्योंकि उनका भुगतान बकाया हो जाता है ।
 - दवालियपन तब होता है जब कसिी व्यक्तया कंपनी को कानूनी तौर पर उनके देय और देय बलिों का भुगतान करने में असमर्थ घोषति कर दया जाता है ।
- **दवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधनियिम, 2021** दवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में संशोधन करता है ।
 - इस संशोधन का उद्देश्य कूट के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तयिों के लिये एक कुशल वैकल्पकि दवाला समाधान ढाँचा प्रदान करना है ।
 - इसका लक्ष्य सभी हतिधारकों के लिये त्वरति, लागत प्रभावी और परणाम सुनिश्चति करना है ।

■ उद्देश्य:

- देनदार की संपत्त के मूल्य को अधिकितम करना ।
- उद्यमति को बढ़ावा देना ।
- मामलों का समय पर एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चति करना ।
- सभी हतिधारकों के हतियों को संतुलति करना ।
- प्रतस्पर्द्धी बाज़ार और अर्थव्यवस्था को सुगम बनाना ।
- सीमा पार दवालियपन मामलों के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना ।

■ IBC कार्यवाही:

- **भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI):**
 - IBBI भारत में दवाला कार्यवाही की देखरेख करने वाले नयामक प्राधकिरण के रूप में कार्य करता है ।
 - इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं ।
 - IBBI के अध्यक्ष एवं तीन पूर्णकालकि सदस्य सरकार द्वारा नयुक्त कये जाते हैं तथा वे वतित, कानून और दवालियपन के क्षेत्र में वशैषज्ञ होते हैं ।
- **कार्यवाही का नरिणय:**
 - राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण (NCLT) कंपनयिों के लिये कार्यवाही का नरिणय करता है ।
 - ऋण वसूली न्यायाधकिरण (DRT) व्यक्तयिों के लिये कार्यवाही संभालता है ।
 - समाधान प्रक्रिया की शुरुआत को मंजूरी देने, पेशेवरों की नयुक्ति करने और लेनदारों के अंतमि नरिणयों का समर्थन करने में अदालतें महत्त्वपूर्ण भूमकि नभितती हैं ।
- **संहिता के तहत दवाला समाधान की प्रक्रिया:**
 - डफिलॉट पर देनदार या लेनदार द्वारा शुरु कया गया ।
 - दवाला पेशेवर प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं, लेनदारों को वतिलीय जानकारी प्रदान करते हैं और देनदार परसंपत्तप्रबंधन की देखरेख करते हैं ।
 - 180 दिन की अवधि समाधान प्रक्रिया के दौरान देनदार के खलिफ कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाती है ।
- **ऋणदाताओं की समति (CoC):**
 - दवाला पेशेवरों द्वारा गठति, CoC में वतिलीय ऋणदाता शामिल हैं ।
 - CoC बकाया ऋणों के भाग्य का नरिधारण करती है, ऋण पुनरुदधार, पुनरभुगतान अनुसूची में बदलाव या परसंपत्त परसिमापन पर नरिणय लेती है ।
 - 180 दिनों के भीतर नरिणय न लेने पर देनदार की संपत्तपरसिमापन में चली जाती है ।
- **परसिमापन प्रक्रिया:**
 - देनदार की संपत्त की बकिरी से प्राप्त आय को नमिनलखति क्रम में वतितरति कया जाता है:
 - पहला दवाला समाधान लागत, जसिमें दवाला पेशेवर का पारश्रमकि शामिल है, दूसरा सुरक्षति लेनदार, जनिके ऋण संपार्श्वकि द्वारा समर्थति हैं और तीसरा श्रमकिों, अन्य कर्मचारयिों का बकाया, अगला असुरक्षति लेनदार ।

आगे की राह

- समाधान योजनाओं में उच्च पुनरभुगतान प्रतशित सुनिश्चति करने के उपाय लागू करें । इसमें योजनाओं को मंजूरी देने के लिये कठनि मूल्यांकन

- मानदंड**, करेता द्वारा पर्याप्त अग्रमि भुगतान की आवश्यकता पर बल देना और समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
- किसी एक कॉर्पोरेट घराने के लिये ऋण की अधिकतम सीमा 10,000 करोड़ रुपए लागू करने का RBI का नरिणय बट्टे खाते में डालने के दौरान बैंकों के बोझ को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **चूँकि भूल उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं इसलिये IBC और NCLT की पूर्ण समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है।**
 - "हेयरकट्स" की अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन करें और **प्रमोटरों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिये** उपायों को लागू करें। ऐसे सुरक्षा उपाय पेश करें जो प्रमोटरों और वित्तीय ऋणदाताओं के बीच **घाटे का उचित वितरण सुनिश्चित करें।**
 - मामलों की स्थिति और देरी के कारणों पर नियमि अपडेट सुनिश्चित करके समाधान प्रक्रिया में **पारदर्शिता** बढ़ाएँ।

PDF Refernce URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/concerns-over-insolvency-and-bankruptcy-code,-2016>

